दिनांक 24.05.2025
प्रेस विज्ञप्ति 40/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद आजमगढ़/थाना रौनापार

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **10 हजार 100 रूपये नगद**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 24.05.2025 को थाना रौनापार व थाना जीयनपुर की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम बलपुर लिंक खड़जा मार्ग के पास बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त रवि उर्फ रविशंकर घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 10 हजार 100 रूपये नगद, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट), 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना रौनापार व थाना जीयनपुर पर पंजीकृत अभियोगों में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद आजमगढ़, गोरखपुर, मऊ के विभिन्न थानों पर चोरी, आर्म्स एक्ट, यूपी गैंगेस्टर एक्ट आदि के 17 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना रौनापार पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—रवि उर्फ रविशंकर निवासी चिउटी डांड थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।

<u>बरामदगी</u>

1–10 हजार 100 रूपये नगद।

2–01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

<u>जनपद इटावा/थाना चौबिया</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 24.05.2025 को थाना चौबिया व एसओजी/सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम मिलकियापुर तिराहा के पास चेकिंग के दौरान बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त करन उर्फ पुच्चा घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी की 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद फिरोजाबाद, मैनपुरी, कमिश्नरेट आगरा के विभिन्न थानों पर चोरी, लूट, हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी, आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 30 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना चौबिया पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–करन उर्फ पुच्चा निवासी गिहार कालोनी, सिरसागंज जनपद फिरोजाबाद।

<u>बरामदगी</u>

1–चोरी की 01 मोटर साइकिल।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद बुलन्दशहर/थाना अहमदगढ़

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के पीली–सफेद धातु के आभूषण**
- **51 हजार 500 रूपये नगद**
- **घटना में प्रयुक्त कार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनॉकः 24.05.2025 को थाना अहमदगढ़ व स्वाट टीम की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 02 अभियुक्तों 1–अजीत 2–राकेश उर्फ राजेश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के पीली–सफेद धातु के आभूषण, 51 हजार 500 रूपये नगद, घटना में प्रयुक्त कार, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना अहमदगढ़ क्षेत्रान्तर्गत चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना अहमगदगढ़ पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित हैं। गिरफ्तार अभियुक्त अजीत के विरूद्ध जनपद हापुड़, बागपत, मेरठ, बुलन्दशहर, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद के विभिन्न थानों पर चोरी, लूट, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, आबकारी एक्ट आदि के 35 अभियोग व अभियुक्त राकेश उर्फ राजेश के विरूद्ध जनपद हापुड़, बुलन्दशहर, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानों पर चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 13 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना अहमदगढ़ पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अजीत निवासी ग्राम भोवापुर थाना पिलखुआ जनपद हापुड़।

2–राकेश उर्फ राजेश निवासी ग्राम छौलस थाना जरचा, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी

1–चोरी के पीली–सफेद धातु के आभूषण।

2–51 हजार 500 रूपये नगद।

3–घटना में प्रयुक्त कार।

4–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि।

जनपद बाराबंकी/थाना बड्डूपुर

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की घटनाओं का अनावरण**
- **चोरी के पीली–सफेद धातु के आभूषण**
- **चोरी के 12 हजार 470 रूपये नगद**
- **घटना में प्रयुक्त ऑटो**
- **01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनॉकः 23/24.05.2025 की रात्रि थाना बड्डूपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम कोडरी गोपालपुर के पास से 03 अभियुक्तों 1–संजय 2–संदीप 3–पिंकू उर्फ कमलेन्द्र कुमार को गिरफ्तार कर चोरी की घटनाओं का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के पीली–सफेद धातु के आभूषण, चोरी के 12 हजार 470 रूपये नगद, घटना में प्रयुक्त ऑटो, 01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिसमें अभियुक्त संजय के विरूद्ध जनपद सीतापुर के विभिन्न थानों पर चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के लगभग आधा दर्जन अभियोग, अभियुक्त पिंकू के विरूद्ध जनपद सीतापुर के विभिन्न थानों पर चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग व अभियुक्त संदीप के विरूद्ध जनपद सीतापुर, कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानों पर डकैती, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर

एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना बड्डूपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–संजय निवासी छठा मील कमलाबाद बढ़ौली थाना सैरपुर, लखनऊ।

2–संदीप निवासी धोंधी थाना तालगॉव जनपद सीतापुर।

3–पिंकू उर्फ कमलेन्द्र कुमार निवासी ग्राम खरिहानी थाना कुर्सी जनपद बाराबंकी।

बरामदगी

1–चोरी के पीली–सफेद धातु के आभूषण।

2–चोरी के 12 हजार 470 रूपये नगद।

3–घटना में प्रयुक्त ऑटो।

4–01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस आदि।

एएनटीएफ/एएनटीएफ थाना गाजीपुर

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 52 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 257 ग्राम अवैध हेरोइन**
- **1540/–रूपये नगद**
- **01 मोबाइल फोन बरामद**

दिनॉकः 23.05.2025 की रात्रि एएनटीएफ थाना गाजीपुर की टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम शेरपुर ओवरब्रिज के पास थाना अदलहाट जनपद मीरजापुर से अभियुक्त आनंद सोनकर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 52 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 257 ग्राम अवैध हेरोइन, 1540/–रूपये नगद, 01 मोबाइल फोन बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना अदलहाट जनपद मीरजापुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—आनंद सोनकर निवासी ग्राम सिकंदरपुर सरैया थाना चुनार जनपद मीरजापुर।

<u>बरामदगी</u>

1—लगभग 52 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 257 ग्राम अवैध हेरोइन।

2—1540/—रूपये नगद।

3—01 मोबाइल फोन।

<u>जनपद सिद्धार्थनगर/थाना ढेबरूआ</u>

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 किलो 30 ग्राम अवैध चरस बरामद**

दिनॉकः 24.05.2025 को थाना ढेबरूआ व एसएसबी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर भारत—नेपाल बार्डर के पिलर संख्याः 568 के पास से 02 अभियुक्तों 1—नजमुद्दीन अबुल कलाम खान 2—मोहम्मद इमरान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 01 किलो 30 ग्राम अवैध चरस बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना ढेबरूआ पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—नजमुद्दीन अबुल कलाम खान निवासी वार्ड नं0—15 विस्कोहर रोड इटवा जनपद सिद्धार्थनगर।

2—मोहम्मद इमरान निवासी विशुनपुर चौबे थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर।

<u>बरामदगी</u>

1—01 किलो 30 ग्राम अवैध चरस।

- **जनपद फतेहपुर/थाना हुसैनगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 07 वर्ष के कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद फतेहपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फतेहपुर द्वारा थाना हुसैनगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 41/411/413 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त धनंजय को 07 वर्ष के कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

एसटीएफः नवी मुम्बई के थाना एन०आर०आई० सागरी में पंजीकृत हत्या के अभियोग में वांछित अभियुक्त सुखप्रीत सिंह व गुरप्रीत सिंह गिरफ्तार।

दिनांकः 24–05–2025 को एस0टीएफ0एफ0 उत्तर प्रदेश को थाना एनआरआई सागरी, नवी मुम्बई में पंजीकृत मु0अ0सं0 218/25 धारा 103(1), 61(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्त सुखप्रीत सिंह व गुरप्रीत सिंह को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

अभियुक्तों का विवरणः–

1– सुखप्रीत सिंह पुत्र निरमल सिहं निवासी वार्ड नं0 15 एम्पलाईस कालोनी रतिया, फतेहाबाद हरियाणा।

2– गुरप्रीत सिंह पुत्र अवतार सिंह निवासी ग्राम सकरपुरा झाज्जर, जनपद फतेहबाद हरियाणा।

गिरफ्तारी का दिनांक समय/स्थानः–

दिनांक 24–05–2025 समय 14.25 बजे, घंटा गोल चक्कर थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर क्षेत्र।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 18—05—2025 को हत्या की घटना के सम्बन्ध में थाना एन0आर0आई0 सागरी नवी मुम्बई पर मु0अ0सं0 218/25 धारा 103(1), 61(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत हुआ है। इस हत्याकाण्ड में संलिप्त अभियुक्त सुखप्रीत सिंह एवं गुरप्रीत सिंह की गिरफ्तारी हेतु नवी मुम्बई पुलिस द्वारा उत्तर प्रदेष एस0टी0एफ0 से सहयोग प्रदान करने की अपेक्षा की गयी। जिसके क्रम में श्री राज कुमार मिश्रा, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, नोएडा के पर्यवेक्षण व श्री नवेन्दु कुमार, पुलिस उपाधीक्षक एसटीएफ नोएडा के नेतृत्व में उप निरीक्षक श्री अवध नारायण चौधरी, उप निरीक्षक श्री दीपक कुमार द्वारा टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

आज दिनांक 24—05—2025 को अभिसूचना संकलन के दौरान एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, नोएडा की टीम को सूचना प्राप्त हुई कि उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त घण्टा गोल चक्कर, थाना सूरजपुर क्षेत्र में खडे हैं जो कही जाने की फिराक में हैं। इस सूचना पर विश्वास कर एस0टी0एफ0 नोएडा की टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए नवी मुम्बई पुलिस को लेकर गन्तव्य स्थान पर पहुॅचकर अभियुक्त सुखप्रीत सिंह एवं गुरप्रीत सिंह, उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया गया।

पूछताछ पर गिरफ्तार अभियुक्त सुखप्रीत सिंह ने बताया कि उसकी उम्र 24 साल है और वह कक्षा 12 पास है। उसको मॉडलिग करने का शौक था, जिसके चलते वह अपने मामा के लडके गुरप्रीत सिंह के साथ वर्ष 2022 में मुम्बई चला गया था। अभियुक्त सुखप्रीत सिंह की नवी मुम्बई में रहने के दौरान वहॉ पर सैलून की दुकान चलाने वाली जनपद गाजियाबाद निवासी एक महिला से मुलाकात हुई थी। अभियुक्त सुखप्रीत सिंह ने उक्त महिला के कहने पर 05 लाख रूपये में एक महिला की हत्या करने की योजना बनाई। हत्या के इस षडयंत्र में सुखप्रीत सिंह अपने मामा के लडके गुरप्रीत को साथ लेकर इस घटना को अंजाम दिया था। विवेचना में यह तथ्य भी प्रकाष में आया कि इस हत्या की सुपारी मृतका के पति किषेार सिंह द्वारा ही दी गयी थी। अभियुक्त सुखप्रीत ने ऑनलाइन चाकू एवं मास्क मंगाकर पूर्ण रूप से रैकी करने के उपरान्त दिनांक 18—05—2025 की रात्रि में सड़क पर जाते समय

किशोर सिंह की पत्नी का गला काटकर निर्मम हत्या कर दिया था। इस हत्या की घटना के सम्बन्ध में थाना एन0आर0आई0 सागरी नवी मुम्बई पर उपरोक्त अभियोग पंजीकृत हुआ है जिसमें अभियुक्त सुखप्रीत सिंह व गुरप्रीत सिंह वांछित चल रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों को थाना सूरजपुर, जनपद गौतमबुद्धनगर पर दाखिल किया गया तथा नवी मुम्बई पुलिस द्वारा अभियुक्तों का नियमानुसार ट्राजिस्ट रिमाण्ड प्राप्त कर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा रही है।

————————